## न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रक0क्र0 - 86 / 15

संस्थित दिनाँक-04.03.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मालनपुर जिला—भिण्ड (म०प्र०) विरुद्ध

.....अभियोगी

श्यामवीर पुत्र जण्डेलसिंह गुर्जर उम्र 47 साल निवासी गुरीखा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र0

.....अभियुक्त

## <u>−ः निर्णय ः–</u> {आज दिनांक 21.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25—(1—बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 05.10.14 को समय 17:30 बजे, ग्राम गुरीखा मोड भिण्ड ग्वालियर रोड थाना मालनपुर में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 05.10.14 को शाम थाना मालनपुर के प्र0आर0 महावीर प्रसाद अपराध विवेचना के लिए हमराह फोर्स आर0 नरेन्द्र भार्गव, आर0 नरवीरसिंह राणा के रवाना हुए। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गुरीखा मोड पर घटना कारित करने की नियत से कट्टा लिए खडा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा तब उसे फोर्स की मदद से पकडा। तलाशी ली तो बांयी तरफ कुर्ते के नीचे पायजामा में एक 315 बोर का देशी कट्टा खुरसे था। कट्टा खोलकर चैक किया तो उसकी नाल में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। कट्टा रखने का लायसेंस पूछे जाने पर अभियुक्त ने लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त से आग्नेय आयुध जब्तकर जब्ती पत्रक बनाए, उन्हें गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए। थाना आकर अप0क0—202/14 पर अपराध पंजीबद्ध किया। दौराने अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टा व कारतूस की जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।

2

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.10.14 को समय 17:30 बजे, ग्राम गुरीखा मोड भिण्ड ग्वालियर रोड थाना मालनपुर में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में महावीर प्रसाद शर्मा अ०सा० 1, नरवीरसिंह अ०सा० 2, दीपक तिवारी अ०सा० 3, राजिकशोरसिंह अ०सा० 04 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।
- 6. प्र0आर0 महावीर प्रसाद अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 05.10.14 को थाना मालनपुर में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अपराध की विवेचना के सिलिसिले में साक्षी आर0 नरेन्द्र भार्गव व आरक्षक नरवीरिसंह के साथ रवाना हुए तभी उन्हें मुखिबर के माध्यम से सूचना मिली कि गुरीखा मोड पर एक व्यक्ति घटना घटित करने की नियत से कट्टा लिए खड़ा है। जिसकी तस्दीक हेतु मुखिबर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा। तलाशी लेने पर कुर्ते के नीचे पायजामा में एक 315 बोर का कट्टा जिसमें 315 बोर का एक जीवित राउण्ड लगा मिला। उक्त कट्टा कारतूस के संबंध में अभियुक्त से अनुज्ञप्ति चाहे जाने पर अनुज्ञप्ति न होने के कारण अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाए जाने तथा मौके पर उसे गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्र0पी0 2 बनाए जाने का कथन करते हैं। उक्त दस्तावेजों पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् थाना वापस आकर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज करने व अपराध की प्राथमिकी प्र0पी0 4 के रूप में लेखबद्ध किए जाने जिन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा आर्टीकल ए—1 व कारतूस आर्टीकल ए—2 अभियुक्त से जब्त किए जाने के संबंध में कथन करते हैं।
- 7. प्रकरण में जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 के साक्षी आरक्षक नरेन्द्र भार्गव व आरक्षक नरवीरसिंह हैं जिनमें से नरवीरसिंह अ0सा0 2 के रूप में परीक्षित कराए गए जो यह कथन करते हैं कि उक्त दिनांक को वे प्र0आर0 महावीर प्रसाद के साथ अपराध की विवेचना एवं कस्बा गश्त हेतु कस्बा मालनपुर रवाना हुए थे। दौरान कस्बा भ्रमण प्र0आर0 को मुखबिर से सूचना मिली तब उक्त सूचना अनुसार गुरीखा मोड से अभियुक्त को पकड़े जाने जिसके पास कमर के नीचे बांयी तरफ पायजामे में एक 315 बोर का कट्टा व कारतूस जीवित अवस्था में मिलने के सबंध में कथन करते हैं। प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक व प्र0पी0 2 के गिर0 पत्रक पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। इस संबंध में प्र0आर0 द्वारा उनका बयान लिए जाने का भी कथन करते हैं। प्रकरण में अभियुक्त

की ओर से यह बचाव लिया गया है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है ऐसे में अभियोजन के मामले के संदिग्ध होने का तर्क प्रस्तुत किया है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जावे। किन्तु यह अवश्य सुस्थापित है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षियों की भांति ही विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है।

- 8. प्रकरण में महावीर प्रसाद अ०सा० 1 द्वारा घटनास्थल गुरीखा मोड बताया गया है जो कि सार्वजिनक स्थान है। नरवीरसिंह अ०सा० 2 किण्डिका 3 में यह स्वीकार करते हैं कि गुरीखा मोड से काफी लोग भिण्ड ग्वालियर के लिए निकलते रहते हैं। प्रकरण में महावीर प्रसाद अ०सा० 1 के अनुसार उन्हें मुखबिर की सूचना कथित रूप से करबा मालनपुर में विवेचना के दौरान प्राप्त हुई थी। ऐसे में अभिकथित रूप से जब्तीकर्ता महावीर प्रसाद अ०सा० 1 द्वारा करबे में से किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को उक्त सूचना से अवगत कराकर साक्षी के रूप में क्यों नहीं ले जाया गया, यह तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। चूंकि जब्ती स्थल सार्वजिनक स्थान भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग से लगा हुआ दर्शाया गया है जिस पर निश्चित रूप से स्वतंत्र व्यक्तियों का आवागमन परिवहन की दृष्टि से बना रहता है। जब्ती का समय सांय 5:35 बजे तथा गिर० का समय 5:45 बजे लेख किया गया है। ऐसे में उक्त कार्यवाही में 10—15 मिनिट का समय अवश्य लगा होगा तब भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को अभिकथित रूप से जब्ती का साक्षी न बनाया जाना अभियोजन के मामले को संदिग्ध करता है।
- 9. प्रकरण में जहां कि स्वतंत्र साक्षी की अमिसाक्ष्य अधिसंभाव्य रूप से ली जा सकती थी किन्तु उसका अभाव अमियोजन पर व जब्ती के साक्षियों पर अतिरिक्त भार अधिरोपित करता है। प्रकरण में महावीर प्रसाद अ0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में कथन करते हैं कि वे थाने से 15 बजें अर्थात दिन के तीन बजे थाने से रवाना हुए और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने थाने से घटना दिनांक को रवानगी डालकर गश्त हेतु गए थे और स्वीकार करते हैं कि कथित रवानगी सान्हा रोजनामचा की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब्तीकर्ता महावीर प्रसाद अ0सा0 1 ने प्र0पी0 4 की प्राथमिकी में भी सुसंगत रवानगी रोजनामचा सान्हा कमांक व समय का कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रकरण में जहां कि स्वतंत्र साक्षी के द्वारा जब्ती पत्रक को प्रमाणित किए जाने हेतु साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं ऐसे में जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही सद्भाविक एवं नियमानुसार थी, इस तथ्य को प्रमाणित किए जाने हेतु रोजनामचा सान्हा रवानगी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता, किन्तु उक्त दस्तावेज का प्रस्तुत न किया जाना और अभिकथित रोजनामचा सान्हा का कमांक व समय किसी भी अभियोजन के अन्य दस्तावेजों में उल्लेखित न किया जाना संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है।

- 10. प्रकरण में जब्तीकर्ता महावीर प्रसाद अ०सा० 1 जो कि अभियुक्त से कथित रूप से आग्नेय आयुध जब्त किए जाने का कथन करते हैं, वे सुसंगत दिनांक 05.10.14 को थाने से अनुसंधान हेतु रवाना होने का तथ्य बताते हैं। प्र0पी० 1 के जब्ती पत्रक में थाने की कोई नमूना सील कॉलम नं0 13 में अंकित नहीं हैं जो कि अभियुक्त से कथित रूप से प्र0पी० 1 के अनुसार 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्त किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती थी। राजिकशोर अ०सा० 4 का कथन उल्लेखनीय हैं जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि जब्तशुदा कट्टा पर कितनी मोहर लगी थीं। ऐसे में अभिकथित आग्नेय आयुध के अनन्यता को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं।
- 11. प्रकरण में जब्तीकर्ता महावीर प्रसाद अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के कुर्ता पायजामा पहने होने का तथ्य बताते हैं और कमर में बांयी तरफ कट्टा खुरसे होने का तथ्य बताते हैं जबिक प्र०पी० 1 के जब्ती पत्रक में ऐसा कोई उल्लेख न होना स्वीकार करते हैं कि उक्त कट्टा अभियुक्त की कमर में कुर्ते के नीचे पायजामे में खुरसे था। नरवीरसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि आरोपी घटना के समय किस रंग के कपड़े पहने था, मात्र कुर्ता पायजामा पहने होने का कथन करते हैं।
- प्रकरण में दीपक तिवारी अ०सा० 3 अभियोजन स्वीकृति लिपिक हैं जो दिनांक 05.12.14 को 12. जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में पदस्थ होने का कथन करते हैं और यह बताते हैं कि पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन सहित संबंधित केस डायरी को आरक्षक देवेन्द्रसिंह सफेद रंग के कपड़े में मोहरबंद करके लाए थे जिसे खोलकर देखा, तत्पश्चात् तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मध्कर आग्नेय द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र0पी० 5 के अनुसार प्रदान की थी जिस पर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी तथा बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्रकरण में यह साक्षी उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिकथित कट्टा कारतूस को सफेद रंग के कपड़े में मोहरबंद करके लाए जाने का कथन करते हैं जबकि प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक में न तो सफेद रंग के कपड़े का कोई उल्लेख है और न हीं उसे सीलबंद किए जाने का कोई हवाला दिया गया है। ऐसे में यदि जब्तीकर्ता महावीर प्रसाद अ०सा० 1 के कथन के अनुसार माना जाए तो अभिकथित कट्टा व कारतूस सीलबंद नहीं किया गया जबकि दीपक तिवारी अ0सा0 3 के कथन के अनुसार उसे सीलबंद प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में यह तथ्य स्पष्ट होना आवश्यक है कि यदि अभियुक्त से कोई आग्नेय आयुध जब्त किया गया तो वह किस अवस्था में रखा गया। प्रकरण में अभियुक्त से अभिकथित जब्तशुदा आग्नेय आयुध को थाने के किस माल नंबर पर जमा किया गया, इसका उल्लेख संपूर्ण अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों में कहीं भी नहीं हैं। ऐसे में अभिकथित आग्नेय आयुध की अनन्यता प्रश्नचिन्हित हो जाती है।

- 13. प्रकरण में महावीर प्रसाद अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि उन्होंने प्र0पी० 4 की प्राथमिकी लेख की थी, तत्पश्चात् विवेचना के दौरान उन्होंने साक्षी नरेन्द्र भार्गव व नरवीरिसंह के कथन लिए थे। यहां प्र0पी० 1 का उल्लेख किया जाना उचित है जिसमें विवेचना हेतु एएसआई आशाराम गौड का नाम उल्लेखित है फिर भी स्वयं जब्तीकर्ता महावीर प्रसाद अ०सा० 1 द्वारा अनुसंधान में साक्षियों के कथन क्यों लिए गए, इसका कोई समुचित कारण नहीं हैं। जबिक उक्त कथनों में कंप्यूटर से टाईप होने के बावजूद ए से ए भाग पर प्रथक से शब्द "साथ" जोड़ा गया है। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि जब्तीकर्ता अधिकारी विवेचनाकर्ता नहीं हो सकता है किन्तु जहां जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण में उपरोक्त विवेचन में उल्लेखित सारवान त्रुटियां की गयी हो ऐसे में स्वयं उसके द्वारा प्र0पी० 4 में अन्य अनुसंधानकर्ता का नाम लेखकर स्वयं विवेचना किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं हैं और ऐसा किया जाना अभियुक्त के संबंध में पूर्वाग्रह को दर्शित करता है।
- 14. प्रकरण में राजिकशोर अ०सा० 4 जो दिनांक 30.10.14 को अपने समक्ष थाना मालनपुर के संबंधित अपराध में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस आरक्षक 900 अमानिसंह द्वारा जांच हेतु लाए जाने पर परीक्षण करना बताते हैं। यह साक्षी भी अपने अभिसाक्ष्य में उक्त कट्टा व कारतूस के सीलबंद चपडी युक्त होने के संबंध में कथन करते हैं तथा जांच उपरांत अपने नमूना सील पर्ची पर चस्पा करके थाने वापस किए जाने के संबंध में कथन करते हैं। इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में भी यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब प्रदर्श पी० 1 के अनुसार कथित रूप से आग्नेय आयुध को सफेद कपडे में सीलबंद किए जाने का कोई कार्य नहीं किया गया तो फिर आग्नेय आयुध को कब सीलबंद किया गया और क्या शस्त्र जांच हेतु प्रस्तुत आग्नेय आयुध अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध था, यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है। शेष इस साक्षी की साक्ष्य में कोई सारवान विरोधाभास दर्शित नहीं हैं। इस साक्षी की साक्ष्य भी दीपक तिवारी अ०साठ 3 के समान ही औपचारिक प्रकृति की है।
- 15. प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वतंत्र जब्ती साक्षी का अभाव, सार्वजनिक स्थान पर दिन के समय राजमार्ग से लगकर मोडकर जब्ती का कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य न होना, सार्वजनिक स्थान पर किसी स्थानीय व्यक्ति को साक्षी न बनाया जाना, जब्ती कार्यवाही के संबंध में जब्ती कर्ता के द्वारा उसके कर्तव्य हेतु थाने से रवाना होने का आधार प्रमाणित नहीं हैं, जब्ती के माध्यम से कथित जब्तशुदा आग्नेय आयुध की अनन्यता का प्रमाणीकरण हेतु कोई नमूना सील अंकित नहीं कराई गयी है। साथ ही पुलिस साक्षियों के द्वारा अभिकथित आग्नेय आयुध की सीलबंद होने के संबंध में दस्तावेजों से मिन्न परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। ऐसे में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। अभियुक्त संदेह के आधार पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

- 16. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दौषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 05.10.14 को समय 17:30 बजे, ग्राम गुरीखा मोड भिण्ड ग्वालियर रोड थाना मालनपुर में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—ख) क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 17. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 18. प्रकरण में जब्तशुदा 315 बोर का एक कट्टा व एक कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 19. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

प्रकेश गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश